भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 714
जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2025 को दिया जाना है ।
3 श्रावण, 1947 (शक)

फर्जी और एआई द्वारा सृजित सामग्री के नियमन एवं निष्कासन

714. श्री नीरज डांगीः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2023 से अब तक देश में फर्जी वेबसाइटों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के इस्तेमाल से व्यक्तिगत अधिकारों के उल्लंघनों के संबंध में अब तक दर्ज मुकदमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों द्वारा फर्जी और एआई सृजित सामग्री को हटाने के संबंध में प्राप्त डाटा का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार द्वारा मौजूदा कानून ऑनलाइन डोमेन में कानून के दुरुपयोग से निपटने में सक्षम नहीं है; और
(घ) यदि हां, तो इन घटनाओं को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या सख्त कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): भारत सरकार की नीतियों का उद्देश्य एआई संवर्धन के बीच देश में उपयोगकर्ताओं के लिए एक मुक्त, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह साइबरस्पेस सुनिश्चित करना है।

निम्नलिखित अधिनियम उपयोगकर्ताओं द्वारा या अन्यथा सृजित जानकारी को विनियमित करते हैं, जिसमें एआई उपकरण या किसी अन्य तकनीक के उपयोग द्वारा सृजित जानकारी भी शामिल है।

<u>सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम")</u>

- अधिनियम के तहत तैयार किए गए आईटी नियम, 2021 मध्यस्थों को सम्यक तत्परता हेतु बाध्य करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपयोगकर्ता उनके प्लेटफार्मों पर गैरकानूनी सामग्री को होस्ट, अपलोड या साझा न करें।
- इस सम्यक तत्परता का पालन न करने पर आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत 'सुरक्षित स्थान' की हानि हो सकती है, जिससे मध्यस्थ अन्य पक्ष की विषयवस्तु के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं।
- मध्यस्थों को मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी, जिसमें प्राप्त शिकायतों, कृत कार्रवाई तथा हटाई गई या निष्क्रिय की गई सामग्री का उल्लेख किया गया हो, तथा स्वचालित निगरानी उपकरणों के माध्यम से पहचान की गई सामग्री भी शामिल हो।

<u>डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 ("डीपीडीपी अधिनियम")</u>

- अधिनियम, डेटा फ़िड्युशरीज़ को अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए उचित सुरक्षा उपाय और तकनीकी एवं संगठनात्मक उपाय अपनाने के लिए अधिदेशित करता है
- एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय के रूप में डेटा संरक्षण बोर्ड के साथ जवाबदेही तंत्र की मजबूत रूपरेखा
- बोर्ड को, शिकायतों की जांच करने, पूछताछ करने और अधिनियम के उपबंधों का पालन न करने के संबंध में 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है।

'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची का अंश है। संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियां, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करती हैं और मामलों की जांच करती हैं।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, गलत सूचना और डीपफेक के कारण साइबरस्पेस में उभरते जोखिमों का निवारण करने के लिए उद्योग के हितधारकों/सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के साथ कई परामर्श किए हैं।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने मध्यस्थों को, आईटी नियम, 2021 के तहत रेखांकित उनकी सम्यक तत्परता बाध्यताओं और दुर्भावनापूर्ण 'सिंथेटिक मीडिया' और 'डीपफेक' सहित गैरकानूनी सामग्री का मुकाबला करने के संबंध में याद दिलाते हुए परामर्शिका जारी की हैं।

भारतीय कंप्यूटर आपातका प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) नियमित रूप से साइबर जोखिमों/कमजोरियों के बारे में अलर्ट और सलाह जारी करता है, जिसमें कंप्यूटर, नेटवर्क और डेटा की सुरक्षा के लिए एआई और प्रत्युपायों के उपयोग द्वारा दुर्भावनापूर्ण अटैक करना शामिल है।

*****